प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश पत्रक

दांडिक अपील क्र. 1794/1995

युगल पीठ :–

माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू और

माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा,

21–2–2006

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

श्री विजय कुमार पाण्डेय, अपीलार्थी के अधिवक्ता ।

श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, राज्य/ प्रत्यर्थी के लिए पैनल अधिवक्ता ।

पीठ पर मौखिक निर्णय सुनाया गया।

एल.सी. भादू, न्यायमूर्ति. के अनुसारः

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़ द्वारा पारित दिनांक 23–11–1995 के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की दंडादेश सुनाई थी।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि 20 अप्रैल 1994 को शाम करीब 7 बजे रामावतार (अभि०सा०–2) अपने घर पर था, उसी समय अभियुक्त हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसके घर

आया और मृतक हाथ में बलुवा (बढ़ई की कुल्हाड़ी) लेकर अभियुक्त का पीछा करता हुआ आया और दोनों में झगड़ा होने लगा। इसी क्रम में अभियुक्त ने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। यह देख साक्षी रामावतार भागकर गांव वालों को सूचना दिया। वह गांव वालों के साथ उसके घर आया तो देखा कि मृतक मृत पड़ा था। रात हो जाने के कारण मामले की सूचना थाने में नहीं दी गई। हालांकि अगले दिन सुबह यानी 21–4–1994 को मामले की सूचना थाने में दी गई और रामावतार (अभि०सा०–2) द्वारा थाना चिरमिरी में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी–8) दर्ज कराई गई। धारा 302 भादवि के तहत मामला दर्ज कर उपनिरीक्षक जे. टोप्पो (अभि०सा०–7) घटनास्थल के लिए रवाना हुए तथा मृतक मंगल के शव का पंचनामा (प्र.पी–3) तैयार किया। मंगल के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिरमिरी भेजा गया, जहां डॉ. आर.आर. गजभिये (अभि०सा०–4) ने मंगल के शव का पोस्टमार्टम किया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्र.पी–3) तैयार की। हल्का पटवारी द्वारा स्थल नक्शा (प्र.पी–1) तैयार किया गया। सादी मिट्टी, खून से सनी मिट्टी तथा बढ़ई की कुल्हाड़ी को प्र.पी–1 व प्र.पी–2 के तहत कब्जे में लिया गया। अभियुक्त द्वारा दिए गए मेमोरेंडम कथन (प्र.पी–6) के अनुसरण में अपराध में प्रयुक्त हथियार कुल्हाड़ी को प्र.पी–5 के तहत कब्जे में लिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अन्वेषण पूरी होने के बाद, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनेन्द्रगढ़ के न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को उपार्पित कर दिया, जहां से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़ को मामला विचारण के लिए स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ ।

अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए सात साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्त का बयान "दंड प्रक्रिया संहिता" की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को इनकार किया और अभिवाक् किया कि वह निर्दोष है। विचारण के समापन पर और पक्षकारो के अधिवक्तओ को सुनने के

बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस निर्णय के कांडिका–1 में उल्लिखित अनुसार अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया और दंडादेश पारित किया गया ।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार पांडे और राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री यू.एन.एस. देव सहित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया को सुना है और विचारण न्यायालय के निर्णय और अभिलेख का अवलोकन किया।

मंगल की मृत्यु को मानववध होना विवादित नहीं है ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्षी रामावतार (अभि०सा०–2) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक अपने हाथ में बढ़ई की कुल्हाड़ी लेकर अभियुक्त का पीछा कर रहा था और खुद को बचाने के लिए अभियुक्त रामावतार के घर में घुस गया, जहां अभियुक्त और मृतक के बीच हाथापाई होने लगी और इस प्रक्रिया में अभियुक्त ने खुद को बचाने के लिए मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, क्योंकि अभियुक्त के मन में यह उचित आशंका थी कि जब तक वह मृतक पर हमला नहीं करता, वह बढ़ई की कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी जान ले सकता है। इसलिए, अभियुक्त ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत कृत्य किया और अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वहीं दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक और विद्वान पैनल अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

भारतीय दंड संहिता की धारा 96 के अनुसार कोई भी कार्य अपराध नहीं है, यदि वह निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 99 में सीमा निर्धारित की गई है। धारा 96 से 98 और 100 से 106 के अनुसार किसी व्यक्ति को दिया गया अधिकार धारा 99 द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के अनुसार, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, किसी भी मामले में, बचाव के उद्देश्य से आवश्यक से

अधिक अपहानि पहुंचाने तक विस्तारित नहीं होता है। धारा 100 में यह प्रावधान है कि शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, पिछली धारा में वर्णित प्रतिबंधों के अंतर्गत, हमलावर को स्वैच्छिक रूप से मृत्यु या किसी अन्य अपहानि पहुंचाने तक विस्तारित होता है, यदि वह अपराध जिसके कारण अधिकार का प्रयोग किया जाता है, उसमें वर्णित किसी भी प्रकार का हो, अर्थात्, "पहला ऐसा हमला, जिससे उचित रूप से यह आशंका हो कि ऐसे हमले के परिणामस्वरूप अन्यथा मृत्यु हो सकती है; दूसरा ऐसा हमला, जिससे उचित रूप से यह आशंका हो कि ऐसे हमले के परिणामस्वरूप अन्यथा घोर उपहति हो सकती है"। स्वैच्छिक रूप से मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा करने के लिए, अभियुक्त को यह दिखाना होगा कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं, जो यह आशंका करने के लिए उचित आधार पैदा करती थीं कि उसे मृत्यु या घोर उपहति पहुँचाई जा सकती है। इस संबंध में भार अभियुक्त पर होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भारतीय दंड संहिता की धारा 102 शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के आरंभ और जारी रहने से संबंधित है। शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब शुरू होता है जब अपराध करने के प्रयास या धमकी से शरीर को खतरे की उचित आशंका उत्पन्न होती है, भले ही अपराध न किया गया हो, लेकिन तब तक नहीं जब तक उचित आशंका न हो। दूसरे शब्दों में, यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक शरीर को खतरे की उचित आशंका बनी रहती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 में सबूत का भार अभियुक्त पर डाला गया है जो आत्मरक्षा की अभिवाक़ पेश करता है और सबूत के अभाव में, न्यायालय के लिए उक्त अभिवाक़ की सत्यता या अन्यथा का अनुमान लगाना संभव नहीं हो सकता है... हालांकि अभियुक्त द्वारा कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है; उसके लिए अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षियों से आवश्यक तत्व प्राप्त करके उक्त तथ्य को साबित करना संभव है। वह अपनी अभिवाक़ को उपस्थित परिस्थितियों से भी स्थापित कर सकता है, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पता चल सकता है।

हालाँकि, बहुत से मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जो व्यक्ति जिसे मृत्यु या शारीरिक चोट की आशंका कारित हो, वह क्षण भर में और परिस्थितियों के आवेश में, हथियारों से लैस हमलावरों को निहत्था करने के लिए कितनी क्षति कारित चाहिए इनकी संख्या को सोने के तराजू पर नहीं तौल सकता। उत्तेजना और अशांत संतुलन के क्षणों में अक्सर पक्षकारो से यह उम्मीद करना मुश्किल होता है कि वे संयम बनाए रखें और जवाबी कार्रवाई में केवल उतना ही बल प्रयोग करें, जितना उस पर आशंका वाले खतरे के अनुरूप हो, जहाँ बल प्रयोग से हमला आसन्न हो। सभी परिस्थितियों को अर्थक्रियावाद के साथ देखा जाना चाहिए और किसी भी अति–तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए।

यदि प्रतिरक्षा साबित हो जाता है, तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा सकता है और यदि नहीं, तो उसे हत्या का दोषसिद्ध ठहराया जाएगा। लेकिन अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दोषसिद्ध ठहराया जाएगा। हालाँकि, जब अभियुक्त आक्रामक हो, तो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सेकर उर्फ राजा शेखरन विरुद्ध **पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य** [(2002) 7 एस.सी.सी 354] में प्रकाशित किए गए मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि "यह पता लगाने के लिए कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है या नहीं, अभियुक्त को लगी चोटें, उसकी सुरक्षा के लिए खतरे की आशंका, अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई क्षति और परिस्थितियां कि क्या अभियुक्त के पास लोक अधिकारियों का आश्रय लेने का समय था या नहीं या सभी सुसंगत कारकों पर विचार किया जाना चाहिए"।

लक्ष्मण सिंह विरुद्ध **पूनम सिंह एवं अन्य**, [2003 ए.आई.आर एस.सी.डब्लू 4566] में प्रकाशित किए गए मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "जहां निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की अभिवाक़ ली जाती है, वहां प्रतिरक्षा एक युक्ति–युक्त और संभावित कथन होना चाहिए जो न्यायालय को संतुष्ट करे कि अभियुक्त द्वारा की गई क्षति या तो हमले को रोकने

के लिए या अभियुक्त की ओर से आगे की युक्ति–युक्त आशंका को रोकने के लिए आवश्यक थी। आत्मरक्षा की अभिवाक़ को स्थापित करने का भार अभियुक्त पर है और अभिलेख पर मौजूद तत्व के आधार पर उस अभिवाक़ के पक्ष में संभावनाओं की प्रधानता दर्शाकर यह भार समाप्त हो जाता है"।

पुनः **मध्य प्रदेश राज्य** विरुद्ध **रमेश** [2005 ए.आई.आर एस.सी 1186] में प्रकाशित किए गए मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "निजी प्रतिरक्षा का उपयोग विधिविरुद्ध बल से बचाव करना, विधिविरुद्ध बल को रोकने, विधिविरुद्ध निरोध से बचने और ऐसी निरोध से निकल भागने के लिए किया जा सकता है"।

विधि के उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, अब हम इस मामले के अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों की परीक्षण करेंगे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मामले का मुख्य साक्षी रामअवतार (अभि०सा०–2) है, जिसकी मौजूदगी में और जिसके घर में घटना घटी। उसने अपनी साक्ष्य में कहा है कि शाम को वह अपने बेटे के साथ खेल रहा था और उसकी पत्नी रात के खाने की व्यवस्था कर रही थी, उस समय अभियुक्त हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसके घर की ओर दौड़ा, मृतक मंगल हाथ में बढ़ई की कुल्हाड़ी लेकर अभियुक्त का पीछा कर रहा था और दोनों में हाथापाई होने लगी। उसने उन्हें झगड़ा न करने के लिए कहा। यहां तक कि अभियुक्त और मृतक दोनों की पत्नियां भी आ गईं और उन्होंने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन अभियुक्त और मृतक ने उनकी बात नहीं मानी। इसी बीच अभियुक्त देवराज ने मंगल पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसके बाद वह घर से बाहर निकल गया और गांव वालों को बुलाया। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में उसने कहा है कि मृतक अभियुक्त का साला था। उन्होंने आगे बताया कि मृतक बढ़ई की कुल्हाड़ी लेकर अभियुक्त को मारने के लिए दौड़ता हुआ आया था और अभियुक्त ने खुद को बचाने के लिए उसके घर में प्रवेश किया, इस प्रक्रिया में वे एक–दूसरे से भिड़ गए और अभियुक्त ने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया।

अतः रामावतार (अभि०सा०–2) के उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से पता चलता है कि अभियुक्त अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता हुआ आया था, जबकि मृतक अपने हाथ में बढ़ई की कुल्हाड़ी लेकर अभियुक्त का पीछा कर रहा था तथा इस साक्षी (अभि०सा०–2) के घर में दोनों के बीच हाथापाई होने लगी, जहां अभियुक्त ने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया। डॉ. आर.आर. गजभिये (अभि०सा०–4) के चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार, मृतक को निम्नलिखित चोटें आईं

1. दाहिने हाथ की कोहनी के अंदर 4" x 1" x 1" आकार का कटा हुआ घाव;
2. छाती के बाईं ओर निप्पल के ऊपर $4^{1/2}$" x 2" x 2" आकार का कटा हुआ घाव जिसके परिणामस्वरूप पसली कट गई थी और फेफड़े का हिस्सा उस स्थान से बाहर निकलने लगा था;
3. खोपड़ी की ऊपरी (पार्श्विका) हड्डी से 2" x 2" अंडाकार आकार का कटा हुआ घाव; &
4. बायीं ओर कंधे की हड्डी के सतह पर 4" x 2" x 1" आकार का।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

डॉक्टर ने आगे बताया कि शव के विच्छेदन पर पाया गया कि बायां फेफड़ा घायल था तथा दूसरी और तीसरी पसलियां कटी हुई पाई गईं। चोट क्र. 3 को छोड़कर शेष चोटें किसी तेज धार वाले शस्त्र से लग सकती हैं। चोटें 2–3 दिन पुरानी थीं। सभी चोटें प्रकृति में खतरनाक थीं तथा सामान्य प्रकृति में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। मृतक की मृत्यु सदमे के कारण हुई।

यह सही है कि मृतक हाथ में बढ़ई की कुल्हाड़ी लेकर अभियुक्त का पीछा कर रहा था। साक्ष्य के अनुसार दोनों ने हाथापाई शुरू कर दी, लेकिन इस प्रक्रिया में अभियुक्त को एक भी चोट नहीं आई, जबकि अभियुक्त ने मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर बार–बार चार गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभियुक्त एक या दो चोटें पहुंचाने के बाद नहीं रुका तथा उसने बार–बार चार चोटें पहुंचाईं, क्योंकि अभियुक्त को कोई चोट नहीं आई, इसका अर्थ है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए कुल्हाड़ी के पहले वार पर, बढ़ई की कुल्हाड़ी जमीन पर गिर

गई होगी। हालांकि, तथ्य यह है कि मृतक अपने हाथ में बढ़ई की कुल्हाड़ी लेकर अभियुक्त का पीछा कर रहा था। इसलिए, शुरू में एक उचित आशंका थी कि अन्यथा इस तरह के हमले का परिणाम मृत्यु होगी और यह आशंका थी कि मृतक पक्ष द्वारा किए गए इस तरह के हमले का परिणाम घोर उपहति होगी। हालांकि, जब अभियुक्त ने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया और दूसरी चोट के अनुसार, छाती के बाएं हिस्से में निप्पल के ऊपर घाव हो गया, जिसके परिणामस्वरूप पसली कट गई और फेफड़े का हिस्सा उस जगह से बाहर निकलने लगा, किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि उसके बाद भी मृतक ने अभियुक्त पर हमला करने के लिए अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी और इस तरह अभियुक्त को अभी भी मृत्यु या गंभीर चोट की उचित आशंका थी। लेकिन, फिर भी, अभियुक्त ने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इन परिस्थितियों में, अभियुक्त ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में मृतक पर हमला किया, लेकिन उसने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया। इसलिए, हमारा राय है कि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–। के तहत दंडित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, हमारा राय है कि खतरनाक शस्त्र से पहुंचाई गई चोटों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, जिनमें से प्रत्येक घातक थी, अपीलार्थी पर ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के आशय का आरोप लगाया जाना चाहिए, जिससे मृत्यु होने की संभावना थी, यदि मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था। तदनुसार, हम अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–। के तहत दोषसिद्ध ठहराते हैं।

परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से सफल होती है और आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। तथा उस धारा के तहत दी गई दंडादेश और दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है, इसके बजाय उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–। के तहत दोषसिद्ध ठहराया जाता है और दस साल के लिए सक्षम कारावास की दंडादेश सुनाई जाती है। कहा जाता है कि अभियुक्त 20 जून, 1994 से अभिरक्षा में है, जिसका विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा विरोध

नहीं किया गया है, इस प्रकार, अभियुक्त पहले ही 11 साल से अधिक की जेल की दंडादेश काट चुका है। यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसे तुरंत स्वतंत्र किया जाए।

पक्षकार इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के हकदार हैं।

सही /-
एल.सी. भादू
न्यायाधीश

सही /-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By — ADV. ANANDITA PRATHNA BEHRA